न्यायालय अवर न्यायाधीश
सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0— 191 सन् 2006
ठाकुर राम जानकी मंदिर न्यास समिति वो अन्य.......वादीगण
बनाम
विनोद सिंह व अन्य...................प्रतिवादीगण।

दिनांकः— 28.07.2021

उभय पक्ष की ओर से हाजरी दी गई। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 02.03.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन में कथन है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0 6 नागेन्द्र सिंह की मृत्यु दिनांक 26.02.2021 को हो गई। उनके मरनोपरांत उनके वारिसान 1. चंपा कुंअर 2. राजेश कुमार सिंह 3. आशीष कुमार सिंह 4. श्वेता सिंह को न्यायाहित में प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि न्यायहित में प्रतिवादी सं0 6 का नाम वादपत्र से काटकर आवेदन में लिखित वारिसानों का नाम जोड़ने की आदेश दिया जाए।

प्रतिवादीगण की ओर से आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है। उनकी ओर से प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को विगत तिथि को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत हकियत वाद में प्रतिवादी सं0 6 नागेन्द्र सिंह प्रतिस्थापित किए गए थे जिनकी मृत्यु के बार में प्रस्तुत आवेदन में कहा गया है कि प्रस्तुत आवेदन शपथ पत्र के साथ समय सीमा के अंतर्गत दाखिल किया गया है। अतः वादी की

ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 02.03.2021 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे वादपत्र से प्रतिवादी सं0 6 नागेन्द्र सिंह का नाम काटकर उनके स्थान पर आवेदन में लिखित वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें।

वाद दिनांक 11.08.2021 अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।